राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 194/2021

ओमप्रकाश पुत्र स्व. गणेशाराम जाति जांगिड़ उम्र 55 वर्ष निवासी पपुरना वार्ड नं. 11 तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........वादी

ब–ना–म

1. बनवारी पुत्र स्व. रामदेव जाति जांगिड़ उम्र 82 वर्ष निवासी पपुरना वार्ड नं. 11 तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये भूस्वामी तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........प्रतिवादीगण

दावा– घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

:: **निर्णय** :: **दिनांक 02–09–2022**

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम पपुरना तहसील खेतड़ी स्थित भूमि आराजी गत खाता सं. 493 खसरा नंबर 3063 रकबा 3 बिस्वा बंजड़ प्रथम व खसरा नंबर 3064 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा बारानी व ख.नं. 3065 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा व ख.नं. 6999/3065 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा बंजड़ कुल 6 बीघा 3 बिस्वा का खातेदार काश्तकार देवीसहाय पुत्र स्व. दूलाराम जाति खाती निवासी पपुरना तहसील खेतड़ी का था जिसका अब स्वर्गवास हो चुका है। स्व. देवीसहाय ने अपनी उक्त वर्णित खातेदारी की भूमि को अपने पौते वादी ओमप्रकाश पुत्र गणेशाराम व प्रतिवादी बनवारी पुत्र रामदेव के हक में उनकी सेवा से प्रसन्न होकर दिनांक 24.06.1977 को 3 बीघा 9 बिस्वा भूमि वादी ओमप्रकाश व 2 बीघा 14 बिस्वा भूमि प्रतिवादी बनवारी को दान दी थी जिसका रजिस्टर्ड दान पत्र तहसीलदार, खेतड़ी के कार्यालय में दिनांक 24.06.1977 को ही पंजीकृत करवा दिया था। दान पत्र में वर्णित हिस्सानुसार ही दान पत्र के आधार पर वादी व प्रतिवादी के नाम नामांतरण संख्या 1338 दर्ज होकर तस्दीक हो गया था। उक्त वर्णित दान पत्र के अनुसार ख.नं. 3063 रकबा 3 बिस्वा व ख.नं. 3064 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा व ख.नं. 3065 में से 3 बिस्वा कुल 2 बीघा 14 बिस्वा बनवारी पुत्र रामदेव को दी गई थी व ख.नं. 3065 में 18 बिस्वा व ख.नं. 6999/3065 की 2 बीघा 11 बिस्वा कुल 3 बीघा 9 बिस्वा पुख्ता भूमि वादी ओमप्रकाश को दान में दी गई थी व इसी अनुसार उक्त वर्णित इंतकाल पुर किया गया था। वैसे इस दान पत्र से पूर्व मृतक देवीसहाय ने उक्त वर्णितानुसार ही भूमि वादी ओमप्र[illegible] प्रतिवादी बनवारी के पिता रामदेव को बाहमी बंटवारे में दे रखी थी जिस प[illegible] पिता स्व. गणेशाराम ने पानी के बहाव व कटाव को रोकने के लिये [illegible] 3065 के स्वयं के खर्चे से एक मजबूत पाल का निर्माण करवाया [illegible] पौधे लगाये थे [illegible] बरसात के पानी से उसमें कटाव ना हो। उक्त वर्णित दान [illegible] के बाद सन् 1978 में [illegible]–प्रबन्ध विभाग द्वारा पैमाईश का कार्य चालू कर दिया गया था जिसके कारण राजस्व विभाग द्वारा पटवारियों को नई जमाबन्दी व नये इंतकाल उसमें करने हेतु पाबन्द कर दिया गया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:32:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

इस कारण से उस वक्त इंतकाल संख्या 1338 के अनुसार जमाबन्दी में वादी व प्रतिवादी के नाम से अमल दरामद नहीं हो सका था। दान पत्र के समय वादी की उम्र कोई 11–12 वर्ष के करीब थी तथा प्रतिवादी व्यस्क था। राजस्व विभाग द्वारा वादी व प्रतिवादी के नाम से जारी भू–राजस्व नियम 21 के अन्तर्गत प्रमाणंकन निर्धारित फार्म नं. 27 में पर्चा नोटिस जारी किये गये थे जो दोनों ही प्रतिवादी बनवारी ने प्राप्त कर लिये थे चूंकि उस समय वादी अवयस्क था। राजस्व विभाग में दान पत्र व इंतकाल संख्या 1338 के होते हुए भी प्रतिवादी के हक में आधी भूमि दर्ज करदी जबकि प्रतिवादी को मिली 2 बीघा 14 बिस्वा के 0.6830 है. होते हैं व वादी को मिली 3 बीघा 9 बिस्वा के 0.8730 है. बनते हैं व कुल भूमि 6 बीघा 3 बिस्वा के 1.5560 है. बनते हैं लेकिन राजस्व विभाग ने भूल वश या सहवन से प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 0.78 है. व वादी के नाम से भी 0.78 है. यानि आधी–आधी भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जिसकी वादी अवयस्क होने से उसे कोई जानकारी नहीं थी तो वादी व प्रतिवादी को राजस्व विभाग द्वारा जारी किये गये फार्म नं. 27 की प्रति संलग्न वाद पत्र है जिन पर प्रतिवादी बनवारी लाल के प्राप्ति के हस्ताक्षर हैं। इसलिये रिकार्ड दुरूस्त हेतु वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। वादी के हक में पूर्व में किये गये बाहमी बंटवारे व बाद दान पत्र तस्दीक होने के पश्चात् नामांतरण संख्या 1338 में दर्ज भूमि गत खसरा नंबर 3065 रकबा 18 बिस्वा ख.नं. 6999/3065 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा कुल 3 बीघा 9 बिस्वा थी जिसके वर्तमान भू–प्रबन्ध में बने ख.नं. 2172 रकबा 0.07 है., ख.नं. 2173 रकबा 0.25 है., ख.नं. 2175 रकबा 0.12 है., ख.नं. 2187 रकबा 0.34 है., ख.नं. 2188 रकबा 0.09 है. कुल किता 5 कुल रकबा 0.87 है. जो वादी के नाम दर्ज होनी चाहिए थी लेकिन उक्त खसरों में ख.नं. 2188 रकबा 0.09 है. भूमि प्रतिवादी के नाम दर्ज करदी तथा उक्त भूमि में ही वादी के स्व. पिता ने पानी के बहाव से कटाव को रोकने हेतु स्वयं के खर्चे से एक पाल निर्मित की थी एवं उसमें पेड़ पौधे लगाये थे। उक्त भूमि शुरू से ही वादी के पजेशन में चली आ रही है जिस पर वादी काश्त करता आ रहा है तथा पाल पर खड़ी घास व पेड़ पौधों को भी काटता आ रहा है। वर्तमान में नव सृजित राजस्व ग्राम लालगढ़ बनने के पश्चात् नये खसरा नंबर सृजित हुऐ जो जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 स्थित ग्राम लालगढ़ के खाता संख्या 9 के नये खसरा नंबर 1414, 1415, 1417, 1429, 1430 बने हैं तथा नव सृजित खसरा नंबर 1430 का गत् खसरा नंबर 2188 है जो प्रतिवादी के हिस्से में गलत रूप से दर्ज है जिसको वादी दुयस्त करवाने का अधिकारी है। गत् ख.नं. 2188 के पैमाईश पूर्व 6999/3065 रहे हैं। वादी को अपने खाता संख्या 9 की भूमि के साथ प्रतिवादी के खाता संख्या 110 के ख.नं. 1430 रकबा 0.09 है. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। ताकि वादी व प्रतिवादी को उनके स्व. दादा देवीसहाय उनके हक में किये गये दान पत्र में दी गई भूमि दान पत्र के अनुसार रिकार्ड दुरूस्त हो सके। इसलिये वादी को यह वाद घोषणात्मक व रिकार्ड दुरूस्त पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि :–

(क) ग्राम लालगढ़ स्थित भूमि खाता संख्या 110 के खसरा नंबर 1430 रकबा 0.09 है. का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद करवाया जावे।

(ख) भूमि खसरा नंबर 1430 रकबा 0.09 है. प्रतिवादी का खातेदारी खाता सं. 110 में से हजफ की जावे तथा वादी के खाता सं. 9 की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:32:21 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 ने इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर ग्राम लालगढ़ स्थित भूमि खाता सं. 110 के खसरा नंबर 1430 रकबा 0.09 है. का वादी को खातेदार काश्तकार

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

घोषित कर दिया जावे तथा उक्त भूमि मुझ प्रतिवादी सं. 1 की खातेदारी खाता सं. 110 से हजफ की जाकर वादी के खाता सं. 9 में दर्ज करदी जावे इसके लिए मैं सहमत हूं।

प्रतिवादी सं. 2 सम्यक् सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबन्दी संवत् 2030–33 (प्रदर्श–1) ग्राम पपुरना, नकल नामांतकरकरण सं. 1177 (प्रदर्श–2), नकल दान पत्र (प्रदर्श–3), नकल नामांतरकरण सं. 1338 (प्रदर्श–4), नकल भू–प्रबन्ध विभाग खसरा पत्रक (प्रदर्श–5 व 6), नकल पर्चा खतौनी (प्रदर्श–7 व 8), नकल भू–प्रबन्ध विभाग प्रपत्र सं.–7 खतौनी रजिस्टर (प्रदर्श–9 व 10), नकल खसरा मिलान क्षेत्रफल (प्रदर्श–11 व 12), नकल जमाबन्दी संवत् 2076–2079 खाता सं. 9 (प्रदर्श–13), खाता सं. 110 (प्रदर्श–14) ग्राम लालगढ़, नकल नक्शा किश्तवार (प्रदर्श–15 व 16), नकल खसरा मिलान क्षेत्रफल (प्रदर्श–17 व 18) पेश किये तथा मौखिक साक्ष्य में शपथ पत्र ओमप्रकाश पुत्र स्व. गणेशाराम (पी.डब्ल्यू.–1), राधेश्याम जांगिड़ पुत्र स्व. गणेशाराम (पी.डब्ल्यू.–2) भी पेश किये गये।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं वाद पत्र के अभिवचनों, प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत इकबाली जवाब दावे का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत् 2030–2033 (प्रदर्श–1) ग्राम पपुरना के गत् खाता सं. 493 में दर्ज गत् खसरा नंबर 3063 रकबा 3 बिस्वा, गत् ख.नं. 3064 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, गत् ख.नं. 3065 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, गत् ख.नं. 6999/3065 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा में बीजा देवीसहाय पुत्र दुला खाती की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। खातेदार बीजाराम फौत हो गया, इसके कोई औलाद नहीं है, उसके सगा भाई देवीसहाय के नाम नामांतरकरण पूर किया गया जो पत्रावली पर उपलब्ध नामांतकरण संख्या 1177 (प्रदर्श–2) के अवलोकन से साबित है। उक्त खातेदार देवीसहाय पुत्र दूलाराम ने जरिये दान पत्र (प्रदर्श–3) के भूमि गत् खसरा नंबर 3063 रकबा 3 बिस्वा, ख.नं. 3064 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा व मिन ख.नं. 3065 रकबा 4 बिस्वा कुल रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा पुख्ता भूमि बनवारी पुत्र रामदेव को व भूमि गत् ख.नं. 3065 रकबा 18 बिस्वा, ख.नं. 6999/3065 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा कुल 3 बीघा 9 बिस्वा पुख्ता भूमि ग्राम पपुरना ओमप्रकाश पुत्र गणेशाराम जाति खाती निवासी पपुरना को दान में दे दी थी। दान पत्र के अनुसार वादग्रस्त भूमि का जरिये नामांतरकरण संख्या 1338 के वादी ओमप्रकाश पुत्र गणेशाराम का कुल रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा व प्रतिवादी सं. 1 बनवारी लाल पुत्र रामदेव का 2 बीघा 14 बिस्वा दर्ज रिकार्ड हुआ जो सही है। लेकिन पैमाईश के दौरान सहवन से प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 0.78 है. व वादी के नाम से भी 0.78 है. यानि आधी–आधी भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया (प्रदर्श–9 व 10), जबकि प्रतिवादी सं. 1 को मिली 2 बीघा 14 बिस्वा के 0.6830 है. होते हैं व वादी को मिली 3 बीघा 9 बिस्वा के 0.8730 है. बनते हैं व कुल भूमि 6 बीघा 3 बिस्वा के 1.5560 है. बनते हैं। नामांतरण संख्या 1338 में दर्ज भूमि गत खसरा नंबर 3065 रकबा 18 बिस्वा ख.नं. 6999/3065 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा कुल 3 बीघा 9 बिस्वा थी जिसके वर्तमान भू–[illegible] ख.नं. 2172 रकबा 0.07 है., ख.नं. 2173 रकबा 0.25 है., ख.नं. 2175 रकबा [illegible] है., ख.नं. 2187 रकबा 0.34 है., ख.नं. 2188 रकबा 0.09 है. कुल किता [illegible] के नाम दर्ज होनी चाहिए थी लेकिन उक्त खसरों में ख.नं. 2188 रकबा 0.09 है. भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज हो गई जो दुरूस्ती योग्य है। वर्तमान में नव सृजित राजस्व ग्राम लालगढ़ बनने के पश्चात् नये खसरा नंबर सृजित हुऐ जो जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 स्थित ग्राम लालगढ़ के खाता संख्या 9 के नये खसरा नंबर 1414, 1415, 1417, 1429 कुल किता 4

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:32:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

कुल रकबा 0.78 है. व खाता सं. 110 के नये खसरा नंबर 1430, 1431 कुल किता 2 कुलरकबा 0.78 है. बने हैं तथा नव सृजित खसरा नंबर 1430 का गत् खसरा नंबर 2188 है जो प्रतिवादी के हिस्से में गलत रूप से दर्ज हो गया। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचनानुसार वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः ग्राम लालगढ़ तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता सं. 110 में दर्ज खसरा नंबर 1430 रकबा 0.09 है. का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार खसरा नंबर 1430 रकबा 0.09 है. भूमि प्रतिवादी सं. 1 की खातेदारी हजफ की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड राजस्व दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02–09–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:32:21 IST
Reason: SelfAttested